

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं०— 09/उपा०कीट०अनु०—70/2009

/कृ० पटना, दिनांक

जून, 2015

प्रेषक :

धर्मेन्द्र सिंह, भा० प्र० से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में :

मेसर्स रेकिट बैंकाइजर्स (इण्डिया) लि०,  
शालीमार कोल्ड स्टोरेज,  
न्यू बाईपास रोड, अनीसाबाद, पटना।  
E-mail& info@rb.com

विषय : कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या—82 दिनांक 03.07.2004 के नवीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा कीटनाशी अनुज्ञप्ति संख्या—82 दिनांक 03.07.2004 जिसकी वैधता 31.12.2014 तक था, के नवीकरण हेतु दिनांक 06.02.2015 को आवेदन दिया गया है।

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 918 दिनांक 19.02.2015, स्मार पत्रांक 1484 दिनांक 20.03.2015 एवं पत्रांक—2066 दिनांक 05.05.2015 द्वारा निम्नांकित अभिलेखों/कागजातों की मांग की गई थी।

1. बिलम्ब शुल्क
2. कीटनाशी विपणन अनुज्ञप्ति की मूल प्रति।
3. वाणिज्यकर विभाग का अद्यतन कर देयता प्रमाण पत्र।
4. गत अनुज्ञप्ति अवधि में राज्य में कीटनाशी की प्रति तथा विक्रय की विवरणीं
5. उपर्युक्त सूचनाओं सहित प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रिंसिपल सर्टिफिकेट तीन प्रतियों में।
6. कीटनाशी भण्डारण स्थल पर अग्निशमन सहित अन्य सुरक्षा मानकों के संबंध में सामग्रियों की सूची प्रमाण—पत्र के साथ।
7. धारा—30 के तहत शपथ—पत्र की मूल प्रति।
8. CIB रजिस्ट्रेशन की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

उपर्युक्त वांछित कागजात अब तक आपके द्वारा समर्पित नहीं किया गया है। अतः कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 का नियम 10 (5) के प्रावधान के आलोक में आपके द्वारा प्राप्त कीटनाशी अनुज्ञप्ति संख्या—82 दिनांक 03.07.2004 के नवीकरण के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाता है एवं कीटनाशी नियमावली 1971 के नियम 11 (2) के तहत आपकी अनुज्ञप्ति रद्द की जाती है।

विश्वासभाजन,

ह०/—

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 3222

/क०, पटना, दिनांक 9 जून, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना / संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना / सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना / जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

मजदूर जी.